

राजस्थान लोक सेवा आयोग

प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2023

समाचार पत्र “दैनिक-भास्कर” में दिनांक 29.09.2019 को प्रकाशित समाचार ‘पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती इन्टरव्यू में अयोग्य अभ्यर्थियों को बुलाने पर आपत्ति’ तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, 2019 की भर्ती में जो अभ्यर्थी विज्ञापन/नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशित हैं, अथवा जिन अभ्यर्थियों की वांछित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उन्हें साक्षात्कार की प्रथम दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने एवं शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेश लेने के साथ राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं इन्टर्व्यूपूर्ण करने की शर्त पर सशर्त रूप से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।

अभ्यर्थियों की पात्रता जांच साक्षात्कार के समय उनके मूल दस्तावेजों से की जावेगी एवं तत्समय अभ्यर्थी के विज्ञापन/नियमानुसार पात्रता नहीं रखने पर अर्थात् पात्रता की शर्त पूर्ण नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित करते हुए अपात्र किया जाता है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव